पत्र सं0-विधि-4(2)/सा0पत्रा0/2022-23/ 761 /राज्य कर।

प्रेषक,

आयुक्त,
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग) लखनऊ :: दिनांक :: 13 मार्च, 2023

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0-201/पी.एस.एम.एस./2023, दिनांक 27 फरवरी, 2023(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता हेतु कतिपय दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

अत: शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-02-2023 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि पत्र में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(ई-मेल के माध्यम से)

भवदीया,

(गीता सिंह)
अपर आयुक्त (विधि) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ को उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ।

2- समस्त अनुभाग अधिकारी, राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ।

3- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त की प्रति विभागीय पोर्टल के नोटिस बोर्ड पर अपलोड किये जाने हेतु।

13.3.2023

अपर आयुक्त (विधि) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

श्री रंजन
AC 16.03.23
D.C.(I.T.) 14/03/2023
6907

मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन
प्रथम तल, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ
दूरभाष संख्या: 0522–2289212, 2289296, फैक्स–2239283
email- csup@nic.in

संख्या: 201 / पी.एस.एम.एस. / 2023
दिनाँक : 27 फरवरी, 2023

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0

कार्यालय ज्ञाप

प्रायः देखने में आ रहा है कि बार–बार दिए जा रहे निर्देशों के बावजूद भी विभागों द्वारा प्लास्टिक कवर तथा सिंगल साइड प्रिन्ट कर बुकलेट प्रस्तुत किया जा रहा है। कागज का दुरूपयोग तथा प्लास्टिक का प्रयोग पर्यावरण की दृष्टि से कदापि उचित नहीं है जबकि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता प्रत्येक अधिकारी की नैतिक एवं शासकीय जिम्मेदारी है।

2. अस्तु, पूर्व आदेशों को दुहराते हुए पुनः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्देश दिए जाते हैं :

(क) शासन के सभी अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा ज्यादा से ज्यादा साफ्ट कापी का ही प्रयोग किया जाये।

(ख) फिजिकल (हार्ड) कापी का प्रयोग कम से कम किया जाये तथा जब भी प्रिन्ट करने की आवश्यकता हो तो डबल साइड ही प्रिन्ट किया जाये।

(ग) प्लास्टिक कवर और स्पाइरल बाइडिंग का कदापि प्रयोग न किया जाये।

(घ) समस्त पत्रावलियाँ ई–आफिस के माध्यम से ही भेजी जायें। यदि भौतिक पत्रावलियाँ भेजना अपरिहार्य हो तो कागज के दोनों तरफ प्रिन्ट किया जाये।

(ड.) बैठकों में पानी हेतु प्लास्टिक बोतल का उपयोग कदापि न किया जाये।

3. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

Add·Com/
Add·Com·(Law/GST)/
JD (Stat.)

Commissioner
28·02·2023
3769
2289(W)
अपर आयुक्त (विधि)
28/02/2023
JC
05
27.2.2023